

2.7.24

पत्रावली पेश हुई।

वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।

पत्रावली में पेंदी हेतु अधिवक्ता व वादी को न्यायालय सत्रण में रुक-रुककर आवेजों दी जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं।

शुद्धि पत्रावली इसी दिनांक से लेकर तामिली की स्टेज पर है तथा कोई प्रवादी फेरी व कार्यवाही नहीं हुई है।

इसलिए: इस वाद में कोई प्रवादी नहीं होने तथा अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर इस वाद अदम फेरी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फेरल सुमार होकर तामिल  
दफ्तर हो।

M